Title: Need to provide adequate compensation and proper rehabilitation to the farmers of Chandrapur, Yavatmal and Nagpur districts whose land has been acquired by Coal India Limited-laid.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): देश के विभिन्न भागों में किसानों की कृषि योग्य भूमि, कोयला इत्यादि खनन सामग्री खनन हेतु उद्योग सेज स्थापित करने विकास कार्य जिसमें सड़कें, सेवा तथा विमानपत्तन ऊर्जा क्षेत्रों में लगने वाली भूमि का अधिग्रहण एलए-एक्ट 1894, सीबी एक्ट 1957 तथा अन्य बने कानून के अंतर्गत जबरन किसानों की इच्छा जाने बगैर जिलाधिशों द्वारा विस्थापित किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता रहा है। इसमें उन विस्थापित किसानों की भावनाओं का उनकी परंपरा से चली आ रही रोजी रोटी रोजगार का भी ध्यान नहीं किया जाता। यह उन विस्थापितों के साथ अन्याय बरसों से हो रहा है। उन किसानों की भूमि का मूल्य कौड़ी मोल देकर ली जा रही है।

मेरे संसदीय क्षेत्र चन्द्रपुर, यवतमाल जिलों के साथ नागपुर जिले में भी हजारों किसानों की भूमि कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहण की जा रही है, जिसका मूल्य जिलाधीश को रेडिकेरनर आधार मानकर तय करते हैं। जिस भूमि का मूल्य तीस हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक अल्प मूल्य, प्रति एकड़ से भुगतान किया जा रहा है। इसके चलते विस्थापित किसानों में भारी रोष है। जबकि इसी क्षेत्र में निजी उद्योग तथा कैप्टीव कोयला खानों हेतु एक एकड़ भूमि के लिए करीब 6 से 11 लाख रूपया प्रति एकड़ दिया जा रहा है। इसकी तुलना में कोल इंडिया 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक ही भूमि का मूल्य भुगतान कर रही है। यह किसानों का शोषण है। इसको रोकने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं। इन विस्थापित किसानों को उनके भूमि का उचित मूल्य मिलने हेतु गंभीरता से सोचें। एल ए एक्ट सीबी एक्ट में संशोधन करें। कोल इंडिया को तुंत निर्देश दें। विस्थापित किसानों को निजी क्षेत्र के तुलना में बराबरी का मूल्य तय करें। उनसे मूल्य हेतु विचार विमर्श कर उचित मूल्य का भुगतान करें।